(30)

पत्रांक–02/वरीयता–09–03/2008 पार्ट–I– 46

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई॰ सीता कान्त झा,
सरकार के संयुक्त सचिव(प्र॰)

सेवा में,

श्री ब्रज मोहन कुमार,
मुख्य अभियंता
सुवर्णरेखा परियोजना यूनिट
चांडिल कम्पलेक्स, जमशेदपुर।

रॉची, दिनांकः– 07.01.13.

विषयः–विभागीय प्रेस विज्ञप्ति पत्रांक 2530 दिनांक 04.06.2012 के आलोक में अभ्यावेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–2529 दिनांक 04.06.2012 द्वारा प्रकाशित झारखण्ड अभियंत्रण सेवा श्रेणी–02 में नियुक्त/प्रोन्नत सहायक अभियंता के औपबंधिक वरीयता सूची के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति पत्रांक–2530 दिनांक 04.06.2012 द्वारा 30 दिनों के अन्दर तथ्यात्मक त्रुटि से संबंधित अभ्यावेदन की मांग की गयी थी।

आपके द्वारा दायर WP(s) No–5828/12 में दिनांक 07.11.2012 को पारित न्यायनिर्णय में उल्लेखित है कि आपके द्वारा पूर्व में अभ्यावेदन समर्पित किया गया है परन्तु उक्त के आलोक में आपके द्वारा समर्पित कोई अभ्यावेदन विभाग को प्राप्त नहीं है।

अतः अनुरोध है कि आपने यदि उक्त के आलोक में पूर्व में अभ्यावेदन समर्पित किया है तो उसकी द्वितीयक/छायाप्रति प्राप्ति रसीद के साथ अविलम्ब विभाग को प्रेषित करें। यदि आपने पूर्व में कोई आपत्ति अभ्यावेदन समर्पित नहीं किया है तो पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर विभाग को समर्पित करें अन्यथा यह मान लिया जायेगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है।

अनु॰–विभागीय पत्रांक 2529 दिनांक 04.06.12 द्वारा
प्रकाशित सहायक अभियंताओं का औपबंधिक वरीयता सूची
एवं पत्रांक–2530 दि॰ 04.06.12

विश्वासभाजन

2/1/13

(सीता कान्त झा)
सरकार के संयुक्त सचिव(प्र॰)

D: PRAMOD Draft Court case 16-11-12.doc